(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैंर तथा यदि यह दवा सभी कसौटियों पर सही उतरी है, तो सरकार इसके वाणिज्यिक उत्पादन एंव सुगम उपलब्धता हेतु क्या प्रयास कर रही है, और

(घ) क्या सरकार दिमाग संबंधी मलेरिया को समाप्त करने के लिए इस दवा को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अपनाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने मेपलोक्विन के निर्माण की प्रक्रिया विकसित की है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने देश में इस औषध के विस्तारित नैदानिक परीक्षणों का सुझाव दिया है।

आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना

2307. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1995 के दैनिक "ऑबजर्वर" में "100% एम. एन.सी. आर्मज से बी लिमिटेड टू प्राइऑरिटी एरिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान कानूनों के कतिपय कमियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य बड़े उद्योग शत-प्रतिशत सहायक कंपनियों का गठन करके लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं हेतु सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या-क्या हैं, जिनका निर्माण देश में इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योगों के सरंक्षण व संवर्धन के लिए नीतिगत रक्षोपाय विद्यमान हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि लघु उद्योगों को अन्य औद्योगिक उपक्रमों, चाहे वे स्वेदशी अथवा विदेशी हों, द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है अथवा स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता है या अनुषुंगी नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी लघु एकक में विदेशी इक्विटी 24% तक सीमित रहती है। लघु क्षेत्र में 24% से अधिक विदेशी निवेश करने के इच्छुक आवदेकों को अपना लघु उद्योग का दर्जा त्याग देने और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने अथवा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर करने की छूट होती है, इनमें जो भी लागू हो। लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित मदों के संबंध में अधिक इक्विटी की भागीदारी अर्थात् 24 % से अधिक भागीदारी के लिए अनुमोदन देने पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि प्रस्ताव के साथ 75% उत्पादन का निर्यात करने का वचन दिया जाए।

Foreign equity remittance to India by Pepsi Cola

2308. SHRI N. GIRI PRASAD:: Will the Minister of industry be pleased to state (a) Whether pepsico. Indian Holdings was approved and set up with the primary objective of promotion of new export projects, promotion of new joint ventures in export activities, investments in Food Processing Industries, investments in backward areas, linkages with fanners by any of the companies of Pepsico. Inc. in India, investments in beverage business-manufacturing, marketing and distribution, and investements in information technology and financial services investment in technology; and;

(b) if so, the details of appropriation of the foreign equity remitted to India on each of the objectives mentioned above, till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTR'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं

2309. **श्री रामजीलाल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इस वर्ष स्वंतत्रता दिवस से नई योजनाएं आरंभ करने का निर्णय लिया हैं,